

प्रवेश आवेदन पत्र

फार्म नं. ....



**श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय**

(बार कोसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध)

पथ नं. 7, विजयवाड़ी, खेतान हॉस्पिटल वाली गली, श्री भवानी निकेतन कॉम्पस, सीकर रोड, जयपुर - 302039

फोन : 0141-2230183, 2233890 • मोबाईल : 9828861550, 9462079847

ईमेल : sbnlawcollegejaipur@gmail.com • वेबसाइट : www.shribhawaniniketanlawcollege.org

कोर्स का नाम जिसमें प्रवेश लेना है विधि ..... वर्ष

सत्र 20 ..... - 20 .....

अभ्यर्थी की  
पासपोर्ट साइज  
फोटो हस्ताक्षरयुक्त

- (1) छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में बड़े अक्षरों में) .....  
Name of student in Capital Letter (In English) .....
- (2) जन्म दिनांक तारीख ..... माह ..... वर्ष .....  
Date of Birth of Student : Date Month Year
- (3) राष्ट्रियता / Nationality .....
- (4) निम्न में से सम्बन्धित खाने पर सही का चिन्ह लगायें :-  
सामान्य  अनु. जाति  अनु. जनजाति  अ.पि.व.  अल्पसंख्यक  वि.पि.व.   
General S.C. S.T. O.B.C. Minority S.B.C.
- (5) पिता का नाम .....  
Father's Name
- (6) माता का नाम .....  
Mother's Name
- (7) स्थायी निवास का पता मय दूरभाष .....  
Permanent Address and Phone No.
- (8) स्थानीय निवास का पता मय दूरभाष .....  
Residential Address and Phone No.
- (9) छात्र/छात्रा का मोबाईल नं. ....  
Student Mobile No. ईमेल .....  
Student Email Id
- (10) विश्वविद्यालय नामांकन संख्या .....  
University Enrolment No. आधार नं. ....  
Aadhar No.
- (11) अन्तिम अर्हक उत्तीर्ण परीक्षा का नाम .....  
Name of last qualified examination  
कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का नाम .....  
Name of College and University
- (12) क्या अभ्यर्थी किसी सरकारी/प्राइवेट नौकरी में कार्यरत है ? हाँ/नहीं .....  
Whether the student is employed in any Govt./Private Organisation ? Yes/No  
(अ) यदि हाँ तो विभाग का नाम .....  
If Yes give name of organisation  
(ब) विभाग में पद .....  
Post held in the organisation  
(स) यदि हाँ तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ! If yes please give the no objection certificate from the Employer
- (13) अति आवश्यक निर्देश : निम्नांकित प्रलेख फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है। अपूर्ण प्रवेश फार्म पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा एवं फार्म स्वतः ही निरस्त माना जा सकेगा :-  
(1) फार्म में संलग्न फोटो पर छात्र के हस्ताक्षर होंगे।  
(2) अर्हक परीक्षाओं (दसवीं से विधि स्नातक तक की अंकतालिकाएँ तथा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में परीक्षा प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी) के प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए (दो सेट)  
(3) फार्म जमा कराने की रसीद तुरन्त प्राप्त करें।  
(4) प्रवेशार्थी प्रवेश फार्म स्वयं की हस्तलिपि में भरें।  
(5) अन्य प्रलेख जो विवरणिका में उल्लिखित हैं।

विशेष :- विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश बार कोसिल के नियमों के अधीन है। अतः कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से समय-समय पर दी जायेगी।

## (14) उत्तीर्ण परीक्षार्थ

परीक्षा का नाम	वर्ष	स्कूल व कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी							
सीनियर सैकण्डरी							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
प्रत्येक वर्ष	प्रथम वर्ष						
	द्वितीय वर्ष						
	तृतीय वर्ष						
अध्ययन में अन्तराल हो तो उसका विवरण							

## प्रमाणीकरण एवं वचन पत्र

पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा -  
Declaration by Parent/Guardian

मैं/..... पिता / अभिभावक  
(पिता या अभिभावक का नाम) (Name of Father/Guardian) (छात्र/छात्रा का नाम) (Name of Student)

यह घोषणा करता हूँ कि -  
Declare that

- उपरोक्त विवरण सही व जन्म तिथि टी.सी. के अनुसार सही अंकित की गई है।
- इसका चरित्र (चाल-चलन) उत्तम है। विभिन्न महाविद्यालय में यह जब तक पढ़ता रहेगा इसके चाल-चलन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- छात्र के अनुशासन बन करने व अवांछनीय कार्यकलापों में भाग लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा तथा अनुशासनहीनता पर बिना सूचना दण्ड दिए जाने, पुलिस में प्रथम दृष्टा रिपोर्ट प्रेषित करने तथा स्वयंसासन प्रमाण पत्र दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी व मुझे स्वीकार होगा।
- छात्र नियमित रूप से महाविद्यालय की कक्षाओं में आएगा व लिखित आवेदन पत्र दिए बिना अनुपस्थित नहीं होगा।
- उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर परीक्षा देने से वंचित रहने पर छात्र/छात्रा की जिम्मेदारी होगी।
- विलम्ब से प्रवेश लेने पर यदि उपस्थिति कम होगी है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। उपस्थिति के बारे में मुझे एवं स्वयं छात्र को राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम पूर्णतः मान्य होंगे।
- प्रवासी प्रमाण पत्र (माईगेशन सर्टिफिकेट) यदि आवश्यक हुआ तो उसको प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मेरा ही होगा व छात्र स्वयं जिम्मेदार रहेगा तथा फीस आदि जो कार्यालय में जमा हो चुकी है उसकी वापसी की मांग कभी नहीं करूंगा।
- छात्र की वांछित फीस निश्चित समय पर जमा कराता रहूंगा एवं निश्चित अवधि तक फीस जमा न होने के कारण जो भी विलम्ब शुल्क देय होगा उसे भरूंगा व निश्चित समय पर जमा करा दूंगा।
- मैं अपने पुत्र/पुत्री की उपस्थिति के बारे में सजग रहूंगा व समय-समय पर प्रख्याक से सम्पर्क कर अपने पुत्र/पुत्री की उपस्थिति व प्रगति के बारे में अवगत होना रहूंगा।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति परचे, कर्नलर आदि की लौट-फोड़ करने पर महाविद्यालय द्वारा दिया गया दण्ड मुझे मान्य होगा।
- महाविद्यालय में फीस जमा होने के बाद वापस मांग नहीं करूंगा तथा न ही समाप्तित करने हेतु निवेदन करूंगा।
- विवरणिका में दिए गये नियमों की पालना अनिवार्यतः करूंगा तथा समय-समय पर प्राचार्य द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करूंगा।
- शरसिख विद्यापीठ/छात्र/छात्रा को नियमित सूचना पट्ट देखने हेतु प्रेषित करूंगा तथा समय-समय पर प्राचार्य जी से सम्पर्क कर छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त कराता रहूंगा एवं प्राचार्य द्वारा बुलाने पर उपस्थित होऊंगा।
- रेगिग की दृष्ट्युक्ति में कभी भी भाग नहीं लूंगा/लेने दूंगा तथा उत्काल प्राचार्य जी को सूचित करूंगा।
- विश्वविद्यालय का परीक्षा आवेदन भरकर शुल्क के साथ जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा/छात्र का होगा।

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा - मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के साथ सत्य है। मैंने किसी तथ्य को नहीं छिपाया है। यदि मेरा प्रवेश हो गया तो मैं महाविद्यालय के नियमों का पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी यदि कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाया जाय तो मेरा प्रवेश/परिणाम स्वतः ही रद्द माना जायें।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नोट / Note : ध्यान रहे, पिता की मौजूदगी में अन्य कोई संरक्षक नहीं हो सकता / No one will be the guardian if father is alive.

पिता की गैर मौजूदगी में माता या अन्य खून के रिश्ते वाला माता की रजामंदी से अभिभावक बन सकता है।  
In the absence of father, only a person of blood relation with the consent of mother will be guardian.

आवेदक विधि ..... वर्ष का निर्धारित योग्यता रखता है। आवेदक प्रवेश योग्य है।

हस्ताक्षर प्रवेश समिति

प्रथम वर्ष के आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें / Attach the following certificates with admission form for LLB 1st year :-

- मूल टी. सी. एक फोटो प्रति सहित / Original T.C. with Photocopy
- मूल चरित्र प्रमाण पत्र एक फोटो प्रति सहित / Original Character Certificate with Photocopy
- दसवीं, बारहवीं, स्नातक व स्नातकोत्तर अंक तालिका की स्वप्रमाणित दो-दो फोटो प्रति / Self Attested 2-2 Photocopy of Marksheet of Class X, XII, Graduate, Post-Graduate
- माईगेशन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है तो) दो फोटो प्रतियाँ सहित (अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों के लिये)  
Migration Certificate (if necessary) with two photocopies (for students coming from other state than Rajasthan)
- दो स्वयं की फोटो नवीनतम / Two latest passport size photograph
- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग आदि का भी देय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अवश्य लगावें।  
Attach photocopy of S.C. / S.T. / O.B.C. / Minority / Physically disabled certificates if applicable.
- आय प्रमाण पत्र / Income Certificate
- आधार कार्ड की फोटो प्रति / Photocopy of Adhar Card